


Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी	मुकाम	सवाईमाधोपुर
किस्तूरी देवी पत्नी नैमगी जाति मीणा निवासी ग्राम मीणा बडौदा तहसील बजीरपुर जिला गंगापुरसिटी	अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट	बनाम	रामकली पत्नि रामराज जाति मीणा निवासी ग्राम मीणा बडौदा तहसील बजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
किस्म मुकदमा		नं.	२२ / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14.06.2024	<p>अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री राधेश्याम बैष्णव के अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट में रेस्पोंड के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 306/2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बावत अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के विरुद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता व पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित उपर्युक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 16.5.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी खारिज किया जाकर प्रकरण मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर द्वारा दिनांक 26.3.2024 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2024 से विज्ञो किया जाकर उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे अंतिम बहस हेतु दिनांक 23.5.2024 नियत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को न्यायालय हाजा मे चुनौती दी गई है। चूंकि आक्षेपित आदेश 16.5.2024 अंतिम आदेश/निर्णय नहीं होकर अंतरिम आदेश होने से अपील योग्य नहीं होकर सक्षम न्यायालय मे पुनरीक्षण योग्य होने से प्रसतुत अपील पोषणीय नहीं होने से इसी एडमिशन की स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल, खारजा की जाकर निर्णय शुमार होकर बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।</p> <p align="center">  </p>	